राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक – प.1(1)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांक 15 JUL 2013

– आदेश –

श्री जी. विश्वनाथ रेड्डी आईएफएस, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन भवन राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 14/2013 एवं सेवानिवृति दिनांक 31.10.2020 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 मे शिथिलन प्रदान करते हुये "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या 604, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्ते–

1. आवास का कब्जा 8 दिवस मे लिया जायेगा। इस अवधि मे कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ii)ए के अनुसरण मे आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस मे आवंटन स्वीकार करने मे असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नही रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र मे अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि मे आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नही किया गया है।

9. श्री जी. वी. रेड्डी से कॉमन सुविधा शुल्क राशि रूपये 300/– (अक्षरे रूपये तीन सौ रूपये मात्र सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।)
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (पी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ13003717 दिनांक 9.7.2013 के कम में।
4. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क–1) विभाग।

5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य **प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
8. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, कलेक्ट्रेट जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/ मालवीयनगर, जयपुर
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करावें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. निदेशक, उद्यान विंग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. सम्बन्धित अधिकारी।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को उनकी आई.डी. संख्या 5796/सीएस–1/13 दिनांक 3.7.2013 के क्रम में।
15. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

(राजकुमार शर्मा)
अनुभागाधिकारी